भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2625
सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946, (शक)

बीड़ी कामगारों का कल्याण

2625. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कम मजदूरी, खतरनाक कार्य वातावरण, प्रणालीगत शोषण, सामाजिक सुरक्षा की कमी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित पहुंच के कारण बीड़ी कामगारों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी कामगारों की बेहतर कार्य दशाओं को सुनिश्चित करने, बाल श्रम को समाप्त करने, महिलाओं को नियमित करने और उन्हें प्रत्यक्ष रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार के पास कर्नाटक, विशेषकर दावनगेरे जिले सहित देशभर में राज्यवार बीड़ी उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कामगारों की संख्या के संबंध में आंकडे उपलब्ध हैं; और

(घ) क्या सरकार का बीड़ी कामगारों को पीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, शैक्षिक सहायता जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम कल्याण योजना जिसमें बीडी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों सहित के कल्याण शामिल है, का कार्यान्वयन देशभर में श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है जो देश के 18 क्षेत्रों में स्थित में स्थित हैं।

इस योजना के तीन घटक हैं नामतः स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति तथा आवास और इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं 279 औषधालयों और 10 अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण, जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के खर्च के लिए किया जाता है।

(ii) बीड़ी कामगारों के बच्चों को कक्षा-1 से कॉलेज/ विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, कक्षा/ पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति वर्ष प्रति छात्र 1000/- रुपये से 25,000/- रुपये तक प्रदान की जाती है।

...जारी पृष्ठ-2/-

(iii) संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएचएस) 2016 के तहत पक्के घरों के निर्माण के लिए 1,50,000/- रुपये की सब्सिडी (प्रति लाभार्थी) प्रदान की जाती है। आरआईएचएस को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ एकीकृत किया गया है।

सरकार बीड़ी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए अन्य विभिन्न कल्याण योजनाएं भी चलाती है, जैसे (**i**) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), **(ii)** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), **(iii)** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), **(iv)** प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम), **(v)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वन-नेशन-वन-राशन कार्ड स्कीम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, **(vi)** दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, **(vii)** प्रधानमंत्री आवास योजना, **(viii)** महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, **(ix)** दीन दयाल अंत्योदय योजना, **(x)** पीएमस्वनिधि, **(xi)** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में कर्नाटक के दावणगेरे जिला सहित 49.82 लाख पंजीकृत बीड़ी कामगार हैं।

'श्रम' भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने और श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सक्षम हैं।

केंद्र सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य या नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

यह अधिनियम 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में कार्य करने से भी प्रतिबंध लगाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम पोर्टल - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकीकृत करना है, ताकि ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके और ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से उनके द्वारा अब तक प्राप्त लाभों को देखा जा सके।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ पहले ही एकीकृत/मैपिंग किया जा चुका है, जिनमें (पीएम स्वनिधि), (पीएमएसबीवाई), (पीएमजेजेबीवाई), (पीएमएवाई-जी), (एबी-पीएमजेएवाई), (पीएमएवाई-यू), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

*****